न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-3615-तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.09.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक निगरानी-778/अ-19/2009-10

---

1. बंकट सिंह पुत्र श्री सत्तर सिंह ठाकुर
2. मलखान सिंह पुत्र श्री अंगद सिंह ठाकुर
   निवासीगण ग्राम बड़खेरा तह0 पवई
   जिला पन्ना (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

रामप्रसाद पुत्र रामशरण दहायत
निवासी ग्राम बड़खेरा तह0 पवई
जिला पन्ना म0प्र0 .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा

आदेश

(आज दिनांक.....03-05-18.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक निगरानी-778/अ-19/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार पवई के आदेश दिनांक 31.07.2002 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक

17.05.2005 द्वारा अनावेदक को किया गया बंटन निरस्त कर भूमि शासन में दर्ज किए जाने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा कलेक्टर पन्ना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 31.12.2007 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार पवई का आदेश यथावत रखा। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा तहसीलदार का आदेश उचित मानते हुए निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक के हक में आवंटन किए जाने के पूर्व इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि अनावेदक आवंटन के प्रावधान के अनुरूप भूमिहीन की श्रेणी में हैं, क्योंकि अनावेदक के पिता के नाम पूर्व से 3.25 हे. भूमि दर्ज है। इस कारण वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं है तथा आवंटन आदेश के पूर्व इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि उपरोक्त भूमि पर किसी का आधिपत्य तो नहीं जबकि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें आवेदकगण का आधिपत्य पाया गया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि तहसीलदार द्वारा आवंटन के पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना न तो आवेदकगण को दी गई है और ना ही ग्रामवासी आदि को दी गई है और ना ही इश्तिहार आदि विधिवत रूप से जारी किए गए हैं इसे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधि विरुद्ध आवंटन किया गया है और इसी कारण से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आवंटन आदेश निरस्त किया गया है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं विधि विधान का पालन किए बिना प्रकरण में उपलब्ध सामग्री का बिना अवलोकन किए पारित किया गया था। जिसे निरस्त करने में कलेक्टर पन्ना द्वारा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि उचित एवं वैधानिक थी तथा आवेदक द्वारा इस प्रकार की कोई आपत्ति कलेक्टर के समक्ष नहीं उठाई गई, क्योंकि वह कलेक्टर के समक्ष आपत्ति उठा ही नहीं सकता था। इसके समर्थन में निम्न न्यायदृष्टांतों 1999 रा0नि0 223 म0प्र0 राज्य विरुद्ध त्रियुग

टाकीज, 1995 रा0नि0 331 तुलसीराम विरुद्ध म0प्र0 राज्य एवं 1995 रा0नि0 361 सुखवतीबाई विरुद्ध रजियाबाई का हवाला दिया गया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक को बंटन की गई भूमि पर आवेदक अपना कब्जा बतला रहा है, परंतु उसने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त भूमि पर आवेदक का किस प्रकार से कब्जा है तथा उसे उक्त भूमि किस प्रकार किससे प्राप्त हुई है या वह किस प्रकार उक्त भूमि पर मालिकाना कब्जा बता रहा है। उसने कोई वैधानिक विक्रय-पत्र, दान-पत्र या हस्तान्तरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक स्वयं कथनों के अनुसार अवैधानिक रूप से उक्त भूमि पर कब्जा किए हुए है जो कि एक दंडनीय अपराध है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा केवल इस आधार पर बंटन को निरस्त कर दिया गया कि अनावेदक के पास शामलाती खाते में 2.000 हे. से अधिक भूमि है जिसके कारण अनावेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक के संबंध में पटवारी द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन में अनावेदक के खाते में 3.25 हे. भूमि है, उसमें आवेदक के पिता के हिस्से में 1.08 हे. भूमि आती है तथा आवेदक के हिस्से में 0.36 हे. भूमि आती है। अनावेदक दो भाई है, माता-पिता मौजूद हैं। अनावेदक अपने माता-पिता से अलग रह रहा है अपनी पत्नी एवं एक पुत्री के साथ जो नाबालिग है। उसकी पत्नी एवं नाबालिग पुत्री के नाम से कोई भूमि नहीं है। अनावेदक रामप्रसाद वर्ग-2 का भूमिहीन है और मजदूरी करता है और भूमि पाने की पात्रता रखता है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक के नाम पर भूमि खसरा नं. 32 रकवा 1.30 हे. भूमि का बंटन किया गया है अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनावेदक के पिता के नाम पर सामिलाती रूप में 3.25 हे. भूमि है। इस कारण वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है फिर भी उसे किया गया भूमि का बंटन किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक के पक्ष में किए गए बंटन आदेश को अवैधानिक एवं विधि विरुद्ध मानने में उसे निरस्त करने तथा प्रश्नाधीन

भूमि को म.प्र. शासन में दर्ज करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। जहां तक कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आलोच्य आदेश पारित किए गए हैं, इस कारण उनके आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त एवं कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं अनुविभागीय अधिकारी पवई जिला पन्ना द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर